न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–897 / 2026

नागेन्द्र राय.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1193 / 2026

अंकुश कुमार उर्फ ढेलु वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

महनार थाना कांड सं0–78 / 2026

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 352, 351(2), 329(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

04.06.2026 महनार थाना कांड सं0–78 / 2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 109, 74, 352, 351(2), 329(4), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका से अग्रिम जमानत आवेदन सं0–897 / 2026 के आवेदकग **नागेन्द्र राय उम्र–55 वर्ष पेसर–महेश्वर राय** साकिन–देशराजपुर वार्ड नं0–25, थाना–महनार, जिला–वैशाली एवं अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1193 / 2026 के आवेदकगण **अंकुश कुमार उर्फ ढेलु उम्र–19 वर्ष पेसर–स्व0 राजेन्द्र राय एवं मनीष कुमार उम्र–22 वर्ष पेसर–नागेन्द्र राय** दोनों साकिन–देशराजपुर, थाना–महनार, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदनों पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता **श्री जय प्रकाश कुमार** तथा विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबु राय** एवं सूचिका के विद्वान अधिवक्ता **श्री धनंजय कुमार** को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदनों की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–21.02.2026 को शाम 05.30 बजे के करीब सूचिका का लड़का अनिकेत कुमार अपने बथान से गाय खिलाकर घर आ रहा था तभी पुरानी दुश्मनी के कारण उसके घर के पास अभिषेक कुमार, मनीष कुमार, नागेन्द्र राय, अंकुश कुमार उर्फ ढिल्लों एवं अंकुश कुमार के दो मौसेरे भाई सभी लोग सूचक के पुत्र को घेर कर गाली देते हुए मारपीट करने लगे। अभिषेक कुमार ने तेज और धारदार फरसा से सूचक के पुत्र के सर पर वार कर उसका सर काट दिया और उसके पुत्र को जान मारने की कोशिश किया तो उसका लड़का किसी तरह जान बचाकर घर में घुस गया तो पीछे से सभी अभियुक्तगण सूचिका के घर में घुस गए और उसे एवं उसकी सासू मां को भी गालियां देते हुए चारों ओर से घेर कर उसकी सासू मां का बाल खींचकर जमीन पर पटक दिया जिससे वह बेलग्न हो गई तभी मनीष कुमार ने उसकी सासू मां के दाहिना हाथ पर डंडा चला दिया जिससे उनका हाथ फट गया तथा सर में भी जख्म है। झगड़ा का कारण रास्ता का विवाद है। घटना के बाद जब सूचिका के पति दुकान से घर आ रहे थे तो उसके साथ भी सभी मारपीट किये और जान से मारने की धमकी देते हुए बोला कि अगर दोबारा नजर आया तो मार कर लापता कर देंगे।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष है तथा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस वाद में पूर्व के दुश्मनी के कारण

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–897 / 2026

नागेन्द्र राय.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1193 / 2026

अंकुश कुमार उर्फ ढेलु वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार
04.06.2026

फंसाया गया है। उनका यह भी कथन है कि अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभय पक्ष आपस में पट्टीदार है और उनके बीच पूर्व से जमनी विवाद है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–118(1), 109 एवं 74 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्रों का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रास्ते के विवाद को लेकर सूचक के पुत्र को घेर कर गाली–गलौज कर मारपीट करने, फरसा से सूचक के पुत्र के सर पर वार कर उसका सर काट देने, सूचिका, उसकी सास एवं उसके पति के साथ गाली–गलौज कर सूचिका के पति के साथ मारपीट करने, सूचिका की सास का बाल खींचकर जमीन पर पटककर बेलग्न कर डंडा से मारकर उसका हाथ फाड़ देने एवं जान मारने की धमकी देने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 03, 04 एवं 27 में अंकित साक्षियों द्वारा अपने बयान में किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 29 में जख्मी अनिकेत कुमार का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिससे विदित होता है कि उसके खोपड़ी के दाहिने पार्श्व भाग पर लगभग 4 सेंटीमीटर लंबाई का एक उभरा हुआ घाव पाया गया है और कांड दैनिकी की कंडिका 34 में जख्मी अनिकेत राय का पूरक जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके सर पर कारित जख्म का चार मंतव्य दिया जिसे गंभीर प्रकृति का पाया गया है और उक्त जख्म उसके शरीर के संवेदनशील अंग पर है। कांड दैनिकी की कंडिका 33 से विदित होता है कि जख्मी धर्मशीला देवी के दाहिने हाथ पर लगभग 0.5 x 0.5 इंच आकार का खरोंच का घाव पाया गया है जिसे चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म जिसे साधारण प्रकृति का पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 34 से विदित होता है कि जख्मी दिनेश कुमार के जख्म को चिकित्सक द्वारा कठोर एवं कुंद वस्तु से कारित जख्म जिसे साधारण प्रकृति का पाया गया है। प्राथमिकी अनुसार आवेदकगण पर फरसा से सूचिका के पुत्र के सर पर वार कर सर काट देने का विशिष्ट आरोप नहीं है बल्कि सह अभियुक्त अभिषेक कुमार पर है। जमानत आवेदन की कंडिका 07 से विदित होता है कि उभय पक्ष आपस में पट्टीदार है और उनलोगों के बीच जमीनी विवाद है। जमानत आवेदनों की कंडिका 03 से विदित होता है कि

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–897/2026

नागेन्द्र राय.....आवेदक

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1193/2026

अंकुश कुमार उर्फ ढेलु वगैरह.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार

Web Copy not Official

लगातार

04.06.2026 आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में उपरोक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में उपरोक्त नामित आवेदकगण को 10,000/–(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।